सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00091

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 23/2018

1. बब्बू सिंह पुत्र सुखदेव जाति जटसिख उम्र 25 वर्ष निवासी चक 37 जीजी घुद्दुवाला तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।
2. बेअन्त कौर उर्फ सगनप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी जगतार सिंह उर्फ तार सिंह जाति जटसिख उम्र 27 वर्ष निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.जी. घुद्दुवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अवतार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.जी.फस्ट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.04.2018 तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर जिसके द्वारा चक 37 जीजी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व किला नम्बर 2,3,8,9,12,13,18, 19,22,23 कुल 15 बीघा का नामान्तरण तस्दीक किया गया को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थित :

1.श्री मोहनलाल पूनियां अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री जगमोहन आहूजा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 20.02.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.04.2018 खिलाफ कानून, रिकॉर्ड, न्याय के सार्वजनिक सिद्वान्तों के होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। कोई भी आदेश व निर्णय पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ रेस्पोडेन्टस के कहने पर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में जो तथाकथित बैयनामेजात जो रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही माना है वो तथाकथित बैयनामेजात जनवरी 2018 के होने बताया है जनवरी 2018 के बाद आज तक कोई बैयनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं हुआ और ना ही उक्त बैयनामा के आधार पर कोई नामान्तकरण की कार्यवाही शुरू की। अधीनस्थ न्यायालय में तथाकथित बैयनामाजात प्रस्तुत होने से पूर्व ग्राम पंचायत 37 जीजी घुद्दुवाला में उक्त बैयनामाजात प्रस्तुत हुए पूर्ण विचार के बाद ग्राम पंचायत 37 जीजी घुद्दुवाला

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)

द्वारा दिनांक 05.04.2018 को उक्त पत्रावली आगामी पंचायत बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत अपने आप में एक न्यायालय है जिसे नामान्तरण तस्दीक करने का पूर्ण अधिकार है बिना ग्राम पंचायत द्वारा कोई निर्णय किये अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत में कार्यवाही जारी रहने के दौरान कोई आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व भू–राजस्व अधिनियम में बने नियमों की पालना नहीं की है ना ही कोई विवादित कृषि भूमि की कब्जे की या अन्य किसी प्रकार की कोई जांच की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.04.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. पदमपुर के निर्णय दिनांक 11.04.2018 द्वारा 37 जीजी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व किला नम्बर 2, 3, 8, 9,12,13,18,19,22,23 कुल 15 बीघा का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक करने के आदेश दिये गये, के विरूद्व पेश की गई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिल्कुल ही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना कानूनी प्रकिया अपनाये पारित किया गया जो किसी भी रूप में सही नहीं है। उपरोक्त मुरब्बा में कुल 4 बीघा कृषि भूमि सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जीजी तहसील पदमपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात है। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक तथाकथित बैयनामा दिनांक 15.01.2018 का होना बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी गुद्दुवाला तहसील पदमपुर के यहां नामान्तरण दर्ज करने हेतु पेश किया गया जो कि दिनांक 28.03.2018 को पटवारी हल्का 37 जीजी घुद्दुवाला द्वारा रिपोर्ट के साथ पेश किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी घुद्दुवाला के समक्ष दिनांक 05.04.2018 को नामान्तरण तस्दीक हेतु पेश हुआ जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी घुद्दुवाला द्वारा आगामी बैठक में उक्त नामान्तरण की पत्रावली प्रस्तत करने के लिये आदेशित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत के आदेशानुसार उक्त पत्रावली दिनांक 20.04.2018 को आगामी ग्राम पंचायत मीटिंग में प्रस्तुत होनी थी लेकिन दिनांक 11.04.2018 को ही तहसीलदार भू.अभिलेख पदमपुर के द्वारा उक्त नामान्तरण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया जो कि कानूनी रूप से कतई गलत है। तहसीलदार भू.अ. पदमपुर के द्वारा उक्त इन्तकाल तस्दीक करते वक्त इन्तकाल की पुष्ट पर शुरू में यह लिखना कि दिनांक 11.04.2018 को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट सहित इन्तकाल संख्या 441 पेश हुआ तथा गुरवीर सिंह व अवतार सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी द्वारा राजनैतिक रंजिश के कारण इन्तकाल निर्णित नहीं किया जा रहा है जबकि कानूनन स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत के सामने नामान्तरण तस्दीक हेतु रिपोर्ट पेश होने के बाद 45 दिन में सरपंच ग्राम पंचायत नामान्तरण तस्दीक करने में सक्षम है अगर नामान्तरण सरपंच के यहा पेश होने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत 45 दिन में नामान्तरण तस्दीक नहीं करता है तो तहसीलदार भू.अभिलेख को यह अधिकारिता होती है कि इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश दे। विवादित नामान्तरण देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 11.04.2018 को पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट तहसीलदार भू.अभिलेख पदमपुर के समक्ष पेश नहीं की गई क्योंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वही पुरानी दिनांक 28.03.2018 की नामान्तरण के साथ लगी हुई है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा उस दिन का प्रस्तुत हुआ पत्रावली मे शामिल है। ऐसी सूरत में स्पष्ट है कि तहसीलदार भू.अभिलेख पदमपुर द्वारा आनन फानन में गलत रूप से रेस्पोडेन्ट से मिलकर साजबाज कर उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया है। तहसीलदार भू अभिलेख पदमपुर को पटवारी रिपोर्ट के बाद 45 दिन तक नामान्तरण तस्दीक करने की अधिकारिता ही नही है तो विवादित इन्तकाल तहसीलदार भू0अभिलेख पदमपुर द्वारा बिना क्षेत्राधिकारिता के पारित किया गया है। पत्रावली में सम्बन्धित मुरब्बा का दिनांक 05.04.2018 को उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा यह स्थगन दिया गया था कि मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.72 हैक्टर में से प्रार्थी के हक व हिस्से तक की भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसके विषय में आनन फानन में तहसीलदार भू0 अभिलेख द्वारा अपने विवादित निर्णय में यह दर्शित किया है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार अपीलांट के हक हिस्सा की भूमि के अलावा कोई स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार इन्तकाल करने में कोई आपत्ति नहीं है इस तरह की कोई टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई और न ही उपखण्ड अधिकारी ऐसी टिप्पणी करने में सक्षम है क्योंकि तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विवादित इन्तकाल दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता और ना ही विवादित मामले में ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है। दैनिक डायरी दिनांक 21.05. 2018 पटवारी हल्का 37 जीजी घुद्दुवाला के अनुसार मौका पर विवादित कृषि भूमि का कब्जा बब्बूसिंह व सुखदेव सिंह द्वारा काश्त की गई होना दर्शाया गया है इस अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रकबा खरीद करना वा कब्जा होना संदेह उत्पन्न करता है इसके अलावा तथाकथित बैयनामा जो रेस्पोडेन्ट द्वारा सुखदेव सिंह से करवाना बताया है को निरस्त करने का वाद पत्र माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करनपुर के न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ है ऐसी सूरत में तहसीलदार भू.अ. पदमपुर को उक्त इन्तकाल तस्दीक करने की अधिकारिता नहीं थी। इस सम्बन्ध में **(आर.आर.डी. 1994 पेज 496 में भली भांति माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि 45 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत को ही इन्तकाल तस्दीक करने की अधिकारिता है। तहसीलदार भू.अ. को कोई अधिकारिता 45 दिन में नहीं है और ना ही सिविल कोर्ट में अगर विक्रय पत्र को चेलेंज किया गया है तो तहसीलदार भू0 अभिलेख को अधिकारिता है।)** रेस्पोडेन्ट द्वारा एक एतराज प्रस्तुत किया गया कि अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सलग्न नहीं है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में जब अपीलांट विवादित कृषि भूमि में उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के यहां वाद में पक्षकार है तो इस अपील में अलग से 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूरत में अपीलाधीन निर्णय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण खारिज करने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण तहसीलदार भू0अ0 द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानून की परिधि से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट से साज बाज कर जल्दबाजी में तस्दीक किया गया है इसलिए उक्त इन्तकाल निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2018 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने इस बाबत आर.आर.डी. 1994 पेज–496 पेश की ।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी घुदुवाला के द्वारा 05.04.2018 को उक्त इन्तकाल आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश देने के बावजूद दिनांक 11.04.2018 को इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस को इन्तकाल की कार्यवाही की जानकारी शुरू से ही थी अगर अपीलान्टस को जानकारी थी तो वह अदालत मातहत के समक्ष पेश होकर आपत्ति कर सकते थे मगर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को आपत्ति अपीलार्थीगण द्वारा पेश नहीं की गई। धारा 96 के तहत अपील अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना होता है जो अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे अपील स्वीकार योग्य नही है। उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता सुखदेव सिंह की स्वयं अर्जित भूमि है। स्वयं अर्जित भूमि में लाईफ टाईम में क्लेम नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के पिता के नाम 24 बीघा भूमि है जिसे अपीलान्ट ने अपील में स्वंय माना है। जिसमे से 15.00 बीघा भूमि मुझे रजिस्ट्री करवाई है। अपीलान्ट के हिस्सा की 9.00 बीघा भूमि शेष है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का हिस्सा छोड़कर इन्तकाल करवाया गया है। एसडीओ पदमपुर ने दिनांक 10.04.2018 को आदेश दिया कि अपीलांट का हक सुरक्षित रखते हुए शेष भूमि का इन्तकाल किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर ने एसडीएम पदमपुर के आदेश की पालना में इन्तकाल दर्ज किया है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेगूलर सूट चलने के कारण रेगूलर सूट का निर्णय लागू होना चाहिए लेकिन इन्तकाल महज Fiscal Entry है। इस कारण रेगूलर सूट के रहते इन्तकाल खोलने पर कोई आपत्ति नही है। रेगूलर सूट का अन्तिम निर्णय प्रभावी उक्त इन्तकाल पर निर्भर करेगा। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे जो विचाराधीन है वे बाद के है जबकि इन्तकाल पहले का है। मेरे द्वारा प्रस्तुत Legal आपत्तियां एवं मैरिट के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इस बाबत आर.आर.टी. 2006 (2) पेज–860–874 पेश की ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत 37 जीजी घुदुवाला के द्वारा 05.04.2018 को उक्त इन्तकाल आगामी बैठक में पेश करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 11.04.2018 को अपने आदेश दिनांक 11.04.2018 द्वारा इन्तकाल सख्या 441 जो दर्ज किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा अपीलार्थी बब्बूसिंह पुत्र सुखदेव सिंह के पैतृक हिस्सा 1/3 हिस्सा तक स्थगित रखते हुए आदेश दिनांक 1772 दिनांक 10.04.2018 की पालना में दर्ज किया है। तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में इन्तकाल स्वीकृत करने में सक्षम है। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी बब्बू सिंह के हिस्सा को छोड़कर उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत् प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। उक्त इन्तकाल सक्षम न्यायालयो के आगामी होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर